कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला–मण्डला (म.प्र.)

क्रमांक / आब / ठेका / 2020 / मण्डला, दिनांक...10...जून, 2020

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी फुटकर ठेकेदारों की विषेष जानकारी के लिय राज्य शासन के निर्देशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मण्डला जिले में वर्ष 2020–21 के लिए 01 एकल समूह में सम्मिलित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का संचालन वर्ष 2020–21 की शेष अवधि हेतु पुनर्निष्पादन के बीच लगने वाली समयावधि के लिए वर्ष 2020–21 के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य के आधार पर एक दिन के आरक्षित मूल्य के विरूद्ध निविदा/ऑफर के माध्यम से निष्पादन कलेक्टर मण्डला की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मण्डला में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी 2020 एवं 176 दिनांक 23 मई 2020 में प्रकाशित की गई शर्तो एवं निर्बन्धों के अधीन दिनांक 12 जून, 2020 दिन शुक्रवार को मेन्युअल निविदा के माध्यम से निष्पादित की जावेगी ।

मेन्युअल निविदा द्वारा निष्पादित की जाने वाले 01 समूह जिनमें सम्मिलित 02 विदेशी मदिरा एवं 02 देशी मदिरा दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	मदिरा दुकान / एकल समूह का क्रमांक व नाम		एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों का वर्गीकरण (देशी / विदेशी मदिरा)	वर्ष 2020–21 के लिए एक दिवस का निर्धारित आरक्षित मूल्य
1	MDL/F-7	(क) बम्हनीबंजर	विदेशी मदिरा	144536
		(ख) बम्हनीबंजर	देशी मदिरा	79116
		(ग) मोचा	विदेशी मदिरा	84013
		(घ) चिरईडोंगरी	देशी मदिरा	57267
		कुल योग :–		**364932**

मेन्युअल निविदा के माध्यम से एकल समूह के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम –

1.	मदिरा दुकानों के निविदा प्रपत्र विक्रय का स्थान, तिथि एवं समय	जिला आबकारी कार्यालय जिला मण्डला से दिनांक 10 जून, 2020 एवं 11 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से सायंकाल 17:30 बजे तक तथा 12 जून, 2020 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 14:30 बजे तक ।
2.	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करने का स्थान, तिथि एवं समय	जिला आबकारी कार्यालय, जिला मण्डला में दिनांक 10 जून 2020 एवं 11 जून, 2020 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 12 जून, 2020 को दोपहर 15:00 बजे तक।
3.	निविदा प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान, तिथि एवं समय	कलेक्टोरेट सभाकक्ष, मण्डला में दिनांक 12 जून, 2020 दिन शुक्रवार को सायं 16:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति एकल समूह रूपये 10000/– निर्धारित है। निविदा प्रपत्र का विक्रय जिला आबकारी कार्यालय, जिला मण्डला के पक्ष में सायबर ट्रेजरी जमा चालान के विरूद्ध किया जायेगा।

निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर आरक्षित मूल्य या उससे अधिक होने पर जिला निष्पादन समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। आरक्षित मूल्य से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर प्राप्त निविदा की तुलनात्मक जानकारी उपयुक्त अनुशंसाओं के साथ आबकारी आयुक्त के माध्यम से समुचित निर्णय हेतु राज्य शासन को प्रेषित की जायेगी।

प्रत्येक अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 5000/– होगा एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति की संचालन अवधि एक सप्ताह की होगी, जिसमें अधिकतम साप्ताहिक आधार पर एक बार में एक सप्ताह की अवधि बढ़ाते हुए चार सप्ताह से अनाधिक अवधि तक समयावधि की वृद्धि की जा सकेगी। आबकारी आयुक्त अनुज्ञप्ति की संचालन अवधि में इससे अधिक अवधि आवष्यक होने पर वृद्धि करना आदेशित कर सकेंगे।

Scanned with CamScanner

एकल समूह के लिये निविदा ऑफर देने के पूर्व 01 दिवस के आरक्षित मूल्य के समतुल्य राशि ऑनलाईन जमा कर कोषालयीन चालान अर्नेस्टमनी पेटे प्रस्तुत करना होगा। यह राशि सुरक्षा निधि का भाग होगी।

सफल आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी होने के पूर्व सुरक्षा निधि में आरक्षित मूल्य के दो गुना राशि ऑनलाईन जमा चालान/बैक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार सुरक्षा निधि आरक्षित मूल्य के तीन गुना के बराकर होगी ।

कलेक्टर, आंशिक अवधि हेतु मदिरा दुकानों के संचालन के लिये जारी अनुज्ञप्ति कभी भी निरस्त करने के आदेश दे सकेंगे, जो सर्व संबंधितों पर बंधनकारी होगा। आबकारी आयुक्त इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा उक्त मदिरा दुकानों का विवरण, संबंधित नियमों, मदिरा का प्रदाय की जानकारी, आवेदन पत्र के संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय, जिला–मण्डला के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में उपरोक्तानुसार प्राप्त की जा सकती है। दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही यदि दिनांक 13.06.2020 को पूर्ण नही होती है तो पुनः निविदा प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु समय एवं सूचना कलेक्टर कार्यालय मण्डला एवं जिला आबकारी कार्यालय, जिला–मण्डला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, इस हेतु नवीन/पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।

Hade 10/6/2020

कलेक्टर

जिला–मण्डला

पृ.क्रमांक/आब/ठेका/2020/ 390 मण्डला, दिनांक 10 जून, 2020

प्रतिलिपि, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेष ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– पुलिस अधीक्षक, जिला–मण्डला की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

4– समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला .... (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.), कलेक्टोरेट, जिला–मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... जिला–मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

7– समस्त तहसीलदार तहसील .... जिला–मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

8– संयुक्त संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग जन संपर्क कार्यालय मण्डला की ओर निष्पादन विज्ञप्ति समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अप्रेषित।

9– श्री शरद रघुवंषी, सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय आबकारी आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु मय सॉफ्ट कॉपी प्रेषित।

10– आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त .... जिला–मण्डला की ओर सूचनार्थ । आप इस विज्ञप्ति को अपने प्रभार क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रसारित करावे एवं समस्त वर्तमान एवं संभावित अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना देकर उनकी प्राप्ति अभिस्विकृति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अधिक से अधिक अनुज्ञप्तिधारियों को प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार किये जावे । जिससे प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार कर राजस्व में प्रयाप्त वृद्धि लाई जा सके। आप स्वयं भी अनुज्ञप्तिधारियों सहित निष्पादन तिथि को उपस्थित रहें।

11– सूचना पटल जिला आबकारी कार्यालय, जिला–मण्डला में चस्पा हेतु ।

Hade

कलेक्टर

जिला–(म.प्र.)

Scanned with CamScanner